संख्या-1589/2026/1288/22-2-2026-17(04)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 06 नवम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन पुत्र श्री निन्ना बाल्मिकी, निवासी जनपद-शामली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-23056/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-04.06.2026) दिनांक-16.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन पुत्र श्री निन्ना बाल्मिकी, जो बाल्मिकी बस्ती, बस स्टैण्ड के सामने, कैराना, थाना-कैराना, जनपद-शामली का निवासी है। आपस में हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2011 को बन्दी ने तमन्चा से गोली मारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0- 727/2011, भा०द०वि० की धारा-302 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-1, कैराना मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 04.03.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2026 तक अपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की मानसिक प्रवृत्ति आपराधिक किस्म की है जो जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में पुन: अपराध कारित करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर किसी आपराधिक घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में आपस में हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2011 को बन्दी द्वारा तमन्चा से गोली मारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की लगभग आयु 36 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अर्जुन पुत्र श्री निन्ना बाल्मिकी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन (बन्दी संख्या-414/2018) पुत्र श्री निन्ना बाल्मिकी, निवासी जनपद-शामली को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1589/2026/1288(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1589/2026/1288/22-2-2026-17(04)/2026

दिनांक: 06 नवम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अर्जुन पुत्र श्री निन्ना बाल्मिकी, जो बाल्मिकी बस्ती, बस स्टैण्ड के सामने, कैराना, थाना-कैराना, जनपद-शामली का निवासी है। आपस में हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2011 को बन्दी ने तमन्चा से गोली मारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0- 727/2011, भा०द०वि० की धारा-302 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-1, कैराना मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 04.03.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.06.2026 तक अपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की मानसिक प्रवृत्ति आपराधिक किस्म की है जो जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा होने पर किसी आपराधिक घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में आपस में हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2011 को बन्दी द्वारा तमन्चा से गोली मारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की लगभग आयु 36 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अर्जुन पुत्र श्री निन्ना बाल्मिकी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।